झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांकः– रा0खा0आ0(शिकायत)–10 / 2022– 671

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 05.08.2022

विषयः– **जनवितरण प्रणाली डीलरों को कम राशन भेजे जाने एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अवैध वसूली किये जाने से संबंधित प्रकाशित समाचार पर कार्रवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दैनिक समाचार पत्र ''दैनिक भास्कर'' एवं ''दैनिक जागरण'' में दिनांक–14.07.2022 को नामकुम के राशन डीलरों को कम राशन भेजे जाने से संबंधित एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नामकुम एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नामकुम द्वारा जनवितरण प्रणाली ट्रान्सपोर्टर से 5 लाख रूपये की अवैध वसूली किये जाने के आरोप से संबंधित समाचार प्रकाशित हुई है।

अतः निदेशानुसार उक्त प्रकाशित समाचार पत्र के कतरण की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

5/8/22

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No.-06512252267/2252261

दैनिक जागरण
दिनांक - 14-07-2022

नामकुम बीडीओ ने पीडीएस ट्रांसपोर्टर से की पांच लाख रुपये की उगाही

वीडियो क्लिप और साक्ष्य से हुई मामले की पुष्टि, विभाग से कार्रवाई की अनुशंसा

जागरण संवाददाता, रांची : नामकुम के बीडीओ ज्ञान रंजन जायसवाल पर पीडीएस ट्रांसपोर्टर (परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता), नामकुम संजीत कुमार यादव से पांच लाख रुपये लेने के मामले की पुष्टि हुई है। जिला आपूर्ति कार्यालय ने स्वयं इसकी जांच कर मामले का पर्दाफाश किया है। दरअसल, ट्रांसपोर्ट की एक लिखित शिकायत और अवैध ढंग से रुपये के लेन-देन संबंधी वीडियो क्लिप जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराई गई थी। इसे लेकर आपूर्ति कार्यालय ने जांच कमेटी गठित कर मामले की जांच को लेकर 12 लोगों से बयान लिया था। उपलब्ध साक्ष्य और लोगों द्वारा दिए गए बयान से पुष्टि हुई कि नामकुम के बीडीओ ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए ट्रांसपोर्ट और डीलर सहित अन्य कर्मियों को धमका कर पैसे की उगाही की। इस मामले की जानकारी उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और खाद्य आपूर्ति विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। बताया जाता है कि बीडीओ पीडीएस डीलर एवं पीडीएस कर्मियों में भय एवं दहशत फैलाकर प्रतिमाह अवैध वसूली की व्यवस्था करने के लिए कहा था। जिला आपूर्ति कार्यालय ने उपलब्ध तथ्यों के आलोक में नामकुम के बीडीओ एवं प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा विभाग से की है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि बीडीओ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है। यदि अनाज कम प्राप्त होने की शिकायत मिली ही थी तो गरीबों के व्यापक हित में उस दुकान को अविलंब सील बंद करा दिया जाना चाहिए था एवं दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त कर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। कम से कम वरीय पदाधिकारियों तक को सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त किया जाना चाहिए था।

क्या है मामला : ट्रांसपोर्टर संजीत कुमार यादव ने 26 मार्च को लिखित शिकायत जिला आपूर्ति कार्यालय को दी। आरोप लगाया कि बीडीओ द्वारा पैसे की मांग की जा रही है, नहीं देने पर शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। जनवरी में बीडीओ को पांच लाख रुपये दिए गए। इसका वीडियो क्लिप भी आवेदक द्वारा दिया गया है। पुनः मार्च में भी इतनी ही राशि की मांग बीडीओ ने की। रुपये नहीं देने की स्थिति में एफआईआर करने एवं ब्लैक लिस्टेड करने की धमकी दी गई।

जांच टीम ने कहा- बीडीओ ने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर ट्रांसपोर्ट और डीलर को धमकाकर पैसे की उगाही की

जांच के लिए गठित हुई थी टीम

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रांची के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित की थी। टीम में रविन्द्र प्रसाद सिंह, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बिरेन्द्र कुमार सिंह एवं प्रभु नारायण महतो, पणन पदाधिकारी थे। टीम द्वारा एक से 21 अप्रैल तक वि इस मामले से जुड़े लोगों को स्थानीय तौर पर एवं कार्यालय द्वारा नोटिस जारी कर बुलाकर संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए।

जांच करनेवाली टीम ने कुल 12 लोगों के दर्ज किये हैं बयान

बिरजू राम पिता मुनीलाल राम, लेबर इंचार्ज, मिथिलेश कुमार सिन्हा, प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नामकोम, मनीष टोप्पो, जन वितरण प्रणाली दुकानदार, करमी टोप्पो, जन वितरण प्रणाली दुकानदार, सूरज कुमार मंडल पिता छवि मंडल, मजदूर, जदु महली पिता छवि मंडल, मजदूर, मुन्ना मंडल, मजदूर, भरत कुमार, आनन्द महली मजदूर, संजीत कुमार यादव, ट्रांसपोर्टर, समिउल्लाह खान जन वितरण प्रणाली दुकानदार, जितेन्द्र राम, मजदूर, अंकित कुमार, सहायक गोदाम प्रबंधक।

क्या है आरोप

- बीडीओ नामकुम के ज्ञान प्रकाश जायसवाल एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता (संवेदक) एवं प्रभारी सहायक गोदाम प्रबंधक से रुपयों की मांग करना, नहीं देने पर जेल भेजने, काली सूची में डालवाने इत्यादि की धमकी देना।
- संवेदक द्वारा बीडीओ के लिए राशि की व्यवस्था करना, मिथिलेश सिन्हा द्वारा स्थानीय प्रभावशाली डीलर की सहायता से बीडीओ तक रुपये पहुंचाना।
- प्रत्येक माह रुपये नहीं देने की स्थिति में धमकी के बाद आनन-फानन प्राथमिकी दर्ज कराना।
- बीडीओ के पास रुपये भेजने संबंधी विडियो क्लिप का उजागर होना।

दैनिक भास्कर
दिनांक :- 14/07/2022

खुलासा • गरीबों के निवाले पर डाका डाल रहे गोदाम प्रबंधक, डीलर, बीएसओ व बीडीओ

डीलरों को भेजे जा रहे कम राशन, चोरी पकड़ी तो घूस में वसूल लिए 5 लाख रुपए

डीएसओ ने जांच में शिकायत सही पाने के बाद नामकुम बीडीओ-बीएसओ पर कार्रवाई के लिए डीसी से की अनुशंसा

विशेष संवाददाता | रांची

गरीबों के निवाले पर उसके रक्षक ही भक्षक बनकर डाका डालते आ रहे हैं। नामकुम प्रखंड में भी ऐसा एक मामला सामने आया है, यहां गरीबों को दिए जा रहे अनाज से गोदाम प्रबंधक, डीलर, बीएसओ व बीडीओ मिलकर अपना-अपना पेट भर रहे हैं। नामकुम के बीडीओ ज्ञानशंकर जायसवाल और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मिथिलेश कुमार सिन्हा ने गरीबों के निवाले की चोरी करनेवालों से पांच लाख रुपए घूस ले ली और उनसे हर माह 40 हजार रुपए देने के लिए दबाव डालने लगे। साथ ही, इन्हें प्राथमिकी दर्ज कराने के नाम पर डराने लगे। इस बात का खुलासा नामकुम के सहायक गोदाम प्रबंधक अंकित कुमार और डोर स्टेप डिलिवरी का ठेका लेनेवाले संजीत कुमार यादव की शिकायत पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी (डीएसओ) द्वारा की गई जांच में हुआ है। दैनिक भास्कर को मिली डीएसओ की रिपोर्ट में कहा गया है 16 जनवरी को राशन डीलर समीउल्लाह खान ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नामकुम के माध्यम से 4 लाख रुपए बीडीओ को भिजवाया फिर 18 जनवरी को 1 लाख रुपए बीडीओ को भिजवाया गया है। कम खाद्यान्न भेजने का मामला रफा-दफा करने के लिए बीडीओ द्वारा प्रत्येक माह 40 हजार रुपए की मांग करने की भी पुष्टि की है। डीएसओ अल्बर्ट बिलुंग ने रांची डीसी से नामकुम बीडीओ और प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पर अनुशासनात्मक व दंडात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की है।

घूस लेने के बाद हर महीने 40 हजार रु. मांगने लगे

डीलर को 22 क्विंटल कम मिला अनाज, प्राथमिकी कर डाला दबाव

डोर स्टेप डिलीवरी के ठेकेदार संजीत कुमार यादव द्वारा डीएसओ को दिए गए बयान में कहा गया है कि नामकुम बीडीओ 5 लाख रुपए मांग कर रहे थे। जनवरी में उन्हें 5 लाख रुपए दिए गए। इसके बाद पुनः मार्च में उन्होंने 5 लाख की मांग की। पैसे नहीं देने पर वे प्राथमिकी दर्ज करने व काली सूची में डालने की धमकी दे रहे थे। 24 मार्च को बीडीओ, बीएसओ व खरसीदाग थाना प्रभारी द्वारा नामकुम के राशन डीलर मनीष टोप्पो के यहां भेजे गए खाद्यान्न की जांच की गई। 25 मार्च को खाद्यान्न को तौला गया। इसमें 22 क्विंटल कम अनाज मिला। टोप्पो ने डीलर के ऊपर प्राथमिकी करा दी। इसके बाद पैसे देने के लिए और अधिक दबाव बनाया गया। डीएसओ ने अपनी रिपोर्ट में इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि बीडीओ ने यह कार्रवाई की, लेकिन इसकी जानकारी वरीय अधिकारी को नहीं दी।

लेन-देन का वीडियो वायरल, अधिकारियों ने बताया साजिश

डीएसओ ने रिपोर्ट में कहा है कि राशन डीलर समीउल्लाह ने प्रभारी बीएसओ को उनकी इनोवा गाड़ी में 4 लाख रुपए दिए, जिसे बीडीओ तक पहुंचाना था। वे पैसे लेकर सीधे नामकुम सीओ के आवास गए। इससे संबंधित वीडियो में रुपए का बंडल तैयार करते समीउल्लाह, गोदाम के लेबर इंचार्ज बिरजू राम व सहायक गोदाम प्रबंधक अंकित कुमार दिख रहे हैं। एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ है, जिसमें बीएसओ स्वीकार करते हैं कि पैसे बीडीओ को मिल गए हैं। इस मामले को नामकुम बीडीओ ने साजिश बताते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि गरीबों का खाद्यान्न चोरी करके बेचा जा रहा है। इसे रोकने के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई गई तो साजिश के तहत उन पर आरोप लगाया गया। डीएसओ कार्यालय से मुझसे स्पष्टीकरण पूछे बिना मुझे दोषी ठहराया गया है।

मैंने न पैसे लिए न मांगे, सारे आरोप मनगढ़ंत

बीएसओ मिथिलेश सिन्हा ने कहा कि मैंने किसी से न पैसे मांगे, न लिए। कम अनाज देने पर कार्रवाई होने से खाद्यान्न चोरी करने वालों ने मनगढंत आरोप लगाया है। पैसे लेन-देन का कोई प्रमाण नहीं है। पूरे मामले की जांच ढंग से हो तो सच्चाई सामने आएगी।